तार : पर्यावरण
Gram : Paryavaran

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

844, फतेहपुर रोशनाई, रनियाँ, रमाबाई नगर

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

844, Fatehpur Roshanai, Rania, Ramabai Nagar

संदर्भ 1847/NOC/L-8/12 दिनांक 08/05/12

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **खण्ड सं0–2, गाटा स0–389 एम, 390 एम एवं 784 एम खरका किशुनपुर, भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर में सैण्ड/मौरंम माइनिंग हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉ, रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533(अ) दिनॉक 14–09–2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067 (ई) दिनॉक 01–12–2009 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 28–04–2012 को प्रातः 11:00 बजे प्राथमिक विद्यालय खरतला, रमाबाई नगर में जिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में सम्पन्न लोक सुनवाई के कार्यवृत्त के विवरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जनपद– रमाबाई नगर खण्ड सं0–2, गाटा स0–389 एम, 390 एम एवं 784 एम खरका किशुनपुर, भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर में सैण्ड/मौरंम माइनिंग के सम्बन्ध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर दिनॉक 28–04–2012 को अपर जिलाधिकारी महोदय, जनपद– रमाबाई नगर की अध्यक्षता में पर्यावरणीय क्लीयरेन्स हेतु लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई का कार्यवृत्त एवं अन्य प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नकः
1– लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।
2– उपस्थित सदस्यों की सूची।
3– विज्ञप्ति की प्रति।
4– लोक सुनवाई की सी0डी0।

AEO/TC
21/5/12

भवदीया,

Chaturvedi

(डा0(श्रीमती)शोभा चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0: तद्दिनॉकः
प्रतिलिपिः सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

PA / AHO
21.5.12

खण्ड सं0–2, गाटा सं0–389 एम, 390 एम एवं 784 एम खरका किशुनपुर, भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर में सैण्ड/मौरंम माइनिंग हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियाँ, रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533(अ) दिनॉक 14–09–2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067 (ई) दिनॉक 01–12–2009 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 28–04–2012 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से 2:00 बजे के मध्य प्राथमिक विद्यालय खरतला, रमाबाई नगर में अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में सम्पन्न लोक सुनवाई के कार्यवृत्त का विवरण।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या– **एफ 00644/सी–2/एन0ओ0सी0/3718/2012** दिनॉक **06–03–2012** एवं जिलाधिकारी महोदय, जनपद– रमाबाई नगर द्वारा उक्त परियोजना की लोकसुनवाई हेतु स्थल, तिथि एवं समय की सहमति/अनुमति प्रदान करने के उपरान्त उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा प्रतिष्ठित समाचार पत्र (दैनिक जागरण– हिन्दी एवं हिन्दुस्तान टाइम्स– अंग्रेजी) में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के उपरान्त दिनॉक 28–04–2012 को **पूर्वाह्न** 11:00 बजे से 2:00 बजे के मध्य प्राथमिक विद्यालय खरतला, रमाबाई नगर में अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)– अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में लोकसुनवाई आयोजित की गयी जिसकी कार्यवृत्त का विवरण निम्नवत् है।

उक्त लोकसुनवाई की आम सूचना स्थानीय (दैनिक जागरण– हिन्दी एवं हिन्दुस्तान टाइम्स– अंग्रेजी) समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी थी जिसकी छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक – 1)**।

लोकसुनवाई की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी, जनपद– रमाबाई नगर द्वारा की गयी। लोकसुनवाई के समय उपस्थित अधिकारियों में श्री एम0एन0 उपाध्याय, उपजिलाधिकारी, तह0– भोगनीपुर, डा0 (श्रीमती)शोभा चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर, श्री वी0के0 मिश्रा, सहा0पर्या0अभि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर, श्री एच0सी0 जोशी, सहा0वैज्ञा0अधि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर, श्री एच0एल0 महाजन, उपमहाप्रबन्धक, ग्रास रूट्स रिसर्च एंड क्रियेशन इण्डिया(प्रा0)लि0, नयी दिल्ली, श्री वी0एन0 चौधरी, अतिरिक्त सामान्य प्रबन्धक(लीगल एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन) ग्रास रूट्स रिसर्च एंड क्रियेशन इण्डिया(प्रा0)लि0, नोयडा, श्री विट्ठल उपाध्याय, डिप्टी मैनेजर, टेक्निकल सर्विसेस एवं अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति एवं समीपवर्ती ग्रामवासी उपस्थित थे। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अवसर पर उपस्थित सदस्यों की सूची की छायाप्रति संलग्न है (संलग्नक– 2)।

लोकसुनवाई प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियाँ, जनपद– रमाबाई नगर के प्रतिनिधि श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहा0वैज्ञा0अधि0 द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि खण्ड सं0–2, गाटा स0–389 एम, 390 एम एवं 784 एम खरका किशुनपुर, भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर में सैण्ड/मौरंम माइनिंग हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त कराया गया था।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या– एस0ओ0–1533 दिनॉक 14–09–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 जनपद– रमाबाई नगर में उक्त माइनिंग हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसी के अनुपालनार्थ दिनॉक 28–04–2012 को इस लोकसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है।

श्री एच0सी0 जोशी, सहा0वैज्ञा0अधि0, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा आयोजकों से प्रस्ताव के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया।

श्री विट्ठल उपाध्याय, डिप्टी मैनेजर, टेक्निकल सर्विसेस, ग्रास रूट्स रिसर्च एंड क्रियेशन इण्डिया(प्रा0)लि0, नयी दिल्ली द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु सम्बन्धित विवरण का प्रस्तुतीकरण किया गया जिसके अनुसार खनन पट्टा दिनॉक 28–02–2008 के अनुसार श्री देव सिंह पट्टेधारी हैं। खनन का क्षेत्र ग्राम– खरका किशुपुर, तहसील– भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर, उ0प्र0 है जिसका क्षेत्रफल 18.32 हेक्टेयर है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली, भारत सरकार के गजट अधिसूचना दिनॉक 14 सितम्बर, 2006 यथासंशोधित दिसम्बर, 2009 एवं अप्रैल, 2011 के अनुसार प्रस्तावित खनन परियोजना को श्रेणी 'बी' में रखा गया है। खनन के लिये उपलब्ध क्षेत्रफल 18.32 हेक्टेयर होगा। खनन नदी क्षेत्र के उस भाग में होगा जो किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित होगा। प्रत्येक वर्ष नदी क्षेत्र से लगभग 1.89 लाख टन खनन सामग्री (बालू) के संग्रहण की

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
844 फतेहपुर रोशनाई

गुजरने वाली सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं ग्राम के विकास के लिए आवश्यकतानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सम्पर्क मार्ग पर जल का छिड़काव भी आवश्यकतानुसार किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त लोकसुनवाई के दौरान सन्दर्भित स्थल से सम्बन्धित उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा उपरोक्त विचारों, सुझावों, टिप्पणियों के अतिरिक्त अन्य कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी तथा उक्त बालू खनन/माइनिंग के कार्य हेतु उपस्थित समस्त जनसमुदाय ने करतल ध्वनि से अपनी सहमति जताई। उक्त के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सभा समापन की घोषणा की।

उपरोक्त मन्तव्य के साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थानीय लोकसुनवाई का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत किया जाता है।

Chaturvedi

(डा0(श्रीमती शोभा चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद– रमाबाई नगर।

( )
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/अध्यक्ष, लोकसुनवाई
जनपद– रमाबाई नगर

Mishra
AEE

खण्ड सं0–2, गाटा स0–389 एम, 390 एम एवं 784 एम खरका किशुनपुर, भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर में सैण्ड/मौरंम माइनिंग हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉं, रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533(अ) दिनॉक 14–09–2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067 (ई) दिनॉक 01–12–2009 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 28–04–2012 को प्रातः 11:00 बजे प्राथमिक विद्यालय खरतला, रमाबाई नगर में जिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में सम्पन्न लोक सुनवाई के कार्यवृत्त का विवरण।

क0सं0	नाम	पता	दूरभाष/मो0संख्या	हस्ताक्षर
1	भरत पाण्डेय	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) रमाबाई नगर		[signature]
2.	एस0 एन0 उपाध्याय	उपजिलाधिकारी भोगनीपुर	9454416412	[signature]
3.	डा0 (श्रीमती) शोभा चतुर्वेदी	क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0प्रदूषण नि0 बोर्ड रमाबाई नगर	9415045189	[signature] 28/04/12
4.	वी0 के0 मिश्रा	सहायक पर्या0 अभियंता उ0प्र0प्रदूषण नि0 बोर्ड रमाबाई नगर	9721000027	[signature] 28-4-2012
5.	हरीश चतुर्वेदी	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उ0प्र0प्रदूषण नि0 बोर्ड रमाबाई नगर	8765434747	[signature]
6.	एच. एल. महाजन	उप महाप्रबन्धक, PRC	08860858848	[signature]
7-	बी0 एस0 चौधरी	रीजनल जनरल मैनेजर जीएमआर इंडिया (प्रा0) लि0 नोयडा	09582054007	[signature]
8.	Bitthal Upadhyay	Deputy Manager GMC India	9654563368	[signature]

खण्ड सं0–2, गाटा सं0–389 एम, 390 एम एवं 784 एम खरका किशुनपुर, भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर सैण्ड/मौरंम माइनिंग हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉं, रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533(अ) दिनॉक 14–09–2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067 (ई) दिनॉक 01–12–2009 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 28–04–2012 को प्रातः 11:00 बजे प्राथमिक विद्यालय खरतला, रमाबाई नगर में जिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में सम्पन्न लोक सुनवाई के कार्यवृत्त का विवरण।

क0सं0	नाम	पता	दूरभाष/मो0संख्या	हस्ताक्षर
1	गिरजाशंकर	जरी – किशनपुर	9794708141	गिरजाशंकर
2.	अमर सिंह	जरी " "	9651101197	अमर सिंह
3–	अशोक	– [illegible]	–	अशोक
4	दयाराम	जरी किशनपुर	–	दयाराम
5–	हरस्वरूप	जरी – किशनपुर	9956906783	हरस्वरूप
6	हीरालाल	जरी किशनपुर		हीरालाल
7.	भरतसिंह	जरी " "	9936717470	भरतसिंह
8	सुरजबाली	खरतला		सुरजबाली
9.	धनीराम प्रधान	खरतला		धनीराम
10	कमलेश	खरतला	–	कमलेश
11	वीरेन्द्र बाबू	जरी किशुनपुर	9559779040	वीरेन्द्र बाबू
12	कल्लू सिंह	जरी किशुनपुर		कल्लू सिंह
13	भगवान दीन			भगवानदीन
14	केशवदास	खरतला		केशवदास
15	गंगाप्रसाद	खरतला		गंगाप्रसाद
16	वीर सिंह	जरी		वीर सिंह
17	सूरजप्रसाद	खरतला		सूरजप्रसाद
18	मुलला	खरतला		[illegible]
19	डा० सुशील कुमार	क्षे० अ० (खनन)/खान निरीक्षक	9455471424	[illegible]

क्र०सं०	नाम	पता	दूरभाष / मो०संख्या	हस्ताक्षर
19	सोनेलाल	जरी		सोनेलाल
20	कल्लू	जरी	9005133331	कल्लू
21	रायसिंह	जरी	9794651009	रायसिंह
22	लालजी	खरतला		लालजी
23	माताप्रसाद	रामपुर डरी	8853967512	माताप्रसाद
24	छोटेलाल	खरतला		छोटेलाल
25	दीपक	खरतला	9559853411	Deepak
26	सूरज	खरतला		सूरज
27	राजेन्द्र	जरी	[illegible]	राजेन्द्र
28	उमाकान्त	जरी	9198216533	Umakant
29	रामशंकर	खरतला		रामशंकर
30	द्वारिका प्रसाद	जरी		द्वारिकाप्रसाद
	तुलसीराम	रामपुर डिबर		तुलसीराम
	छोटेलाल	खरतला		छोटेलाल
	घसीटेलाल	खरतला		घसीटेलाल
	मूलचन्द्र	जरी		मूलचन्द्र
	सोनेलाल	जरी		सोनेलाल
	भगवतीप्रसाद	जरी		भगवतीप्रसाद
	प्रेमबाबू	किशुनपुर	7897013939	प्रेमबाबू
	कुनाल चन्द्र दीक्षित	किशुनपुर	800983[illegible] 24	[illegible]
	लोटन	जरी		लोटन
	रामसहाय	खरतला		रामसहाय

क्र0सं0	नाम	पता	दूरभाष / मो0संख्या	हस्ताक्षर
	राम बाबू तिवारी	जरी	9453555391	[illegible]
	[illegible]			[illegible]
	शिवशंकर	जरी		शिवशंकर
	दुर्जन	जरी	9956231003	दुर्जन
	सतीश	जरी	9198405980	सतीश
	रमाकान्त	जरी	7607843313	रमाकान्त
	सरनामसिंह	खरतला		सरनामसिंह
	मोहरसिंह	खरतला		मोहरसिंह
	मदनलाल	जरी	9651029903	मदनलाल
	रामजीत	जरी		रामजीत
	मालचन्द्र			मालचन्द्र
	पप्पू		9935828074	पप्पू
	मनीराम	खरतला	9794569498	मनीराम
	रामशंकर	खरतला	9559385411	रामशंकर
	दीपक भाई	खरतला		दीपक भाई
	अनिल	खरतला		अनिल
	उदलसिंह	जरी		उदल
	बउआ	जरी		बउआ
	मयंकसिंह	जरी		मयंकसिंह
	अमर सिंह	जरी	847190[illegible]	अमरसिंह
	रामसिंह	जरी [illegible]		रामसिंह
	छोटेलाल	खरतला		छोटेलाल

डा0 सुशील कुमार प्रा0 उ0 (ए सं0) / समर्पित निरीक्षक 9455471424

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉ, जनपद-रमाबाई नगर

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि खण्ड सं.- 2, गाटा सं.- 389 एम, 390 एम एवं 784 एम, खरका किशुनपुर, भोगनीपुर, जनपद-रमाबाई नगर में सैण्ड/मौरम माइनिंग के प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-2006 के अनुपालन में लोक सुनवाई प्राथमिक विद्यालय, खरतला, रमाबाई नगर में दिनांक 28.04.12 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित की जायेगी। उक्त हेतु जनता के सुझाव, विचार एवं टीका टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. जिलाधिकारी कार्यालय, रमाबाई नगर।
2. महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, रमाबाई नगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियॉ, रमाबाई नगर।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, विभूति खण्ड, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, रमाबाई नगर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर एच. अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु प्राथमिक विद्यालय, खरतला, रमाबाई नगर में दिनांक 28.04.12 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा सुझाव व आपत्तियॉ लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर दे सकते हैं।

सी 7445

क्षेत्रीय अधिकारी